# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.**

वाद पत्र संख्या /2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. कावादीतकारी अधिनियम

रमन बुड़ानियां पुत्र श्री हरचन्दराम जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राज0)

.... वादी

बनाम

(1). हरचन्द पुत्र श्री करताराराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह व जिला श्रीगंगानगर

(2). श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री हरचन्द जाति जाट निवासीदौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर

(3). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोवादीी — वादी
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी — प्रतिवादी सं. 1 व 2
पैरोकार राज — (प्रति.–3)

## –:: निर्णय ::–

दिनांक 27.12.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी के माताजी है। चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 13 की कुल 6.831 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द पुत्र करताररराम के नाम 22/45 हिस्सा यानि 3.340 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 3 क्यू के संयुक्त खाता संख्या 9 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द पुत्र करताराराम के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी करताराराम पुत्र धन्नाराम के द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए विभाजन नामान्तरण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू बंटवारा अनुसार चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 13 की कुल 6.831 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द पुत्र करताररराम के नाम 22/45 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.670 है. कृषि भूमि घरेलू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्सा में आई जिसका वादी काविज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई कृषि भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकियां देते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 22/12/2024 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी होने के कारण औपचारिक पक्षकार संयोजित की गई है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि घोषित करवाने में सहमत है। प्रतिवादी सं. 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन है लेकिन बैंक से लिए गए ऋण की बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिए बैंक को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है बैंक की ऋण राशि जमा करवाने के लिए मिकरान पाबन्द रहेंगे। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है ।अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि **चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 9** के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 13 की कुल 6.831 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द पुत्र करताररराम के नाम दर्ज 22/45 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.670 है. कृषि भूमि वादी **रमन बुड़ानियां पुत्र श्री हरचन्दराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राज0)** की घोषित की जावे।

(ख) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 13 की कुल 6.831 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द पुत्र करताररराम के नाम 22/45 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.670 है. कृषि भूमि वादी रमन बुड़ानियां पुत्र श्री हरचन्दराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राज0) को दी गई है।

**अतः उक्त राजीनामानुसार चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 9** के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 13 की कुल 6.831 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द पुत्र करताररराम के नाम दर्ज 22/45 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.670 है. कृषि भूमि वादी **रमन बुड़ानियां पुत्र श्री** हरचन्दराम **जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राज0)** की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेवादी हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमावंदी सम्वत्–2072 –2075 ग्राम 3 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 9, वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के विरास्तन साक्ष्य बाबत नामान्तकरण जमाबंदी ग्राम 3 क्यू, पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 4/6 की प्रमणित प्रति पेश की गई। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी, एवं प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

## –:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 13 की कुल 6.831 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द पुत्र करताररराम के नाम दर्ज 22/45 हिस्सा कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.670 है. कृषि भूमि का वादी रमन बुड़ानियां पुत्र श्री हरचन्दराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प वादीुल्क प्रस्तुत किये जाने पर आदेवादीाानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेविादीात किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय वादीुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27.12.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवम्
श्रीगंगानगर
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner